उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 91/2021/ 1545384/12-2099/219/2021
लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-आदेश

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0105-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना हेतु **निर्गत केन्द्रांश रू0 337.17 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 224.78 लाख** (दो करोड़ चौबीस लाख अठहत्तर हजार रूपये मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

लेखाशीर्ष/अनुदान संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 में NMAET योजना में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति (राज्यांश)
अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0105-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी	5342.35	220.22
अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0105-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (के.60/रा.40-के.+रा.)- 42-अन्य व्यय	1877.99	4.56
योग	7220.34	224.78

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरुप एन.एम.ए.ई.टी. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

2. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

3. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है, को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जायेगा।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

10. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्याः 91 /2021/ 1545384/12-2099/219/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांकः अभि0/1071/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2021-22, दिनांक 17 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in